अध्याय - 11

उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (अध्यापकों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें और अन्य शर्तें) नियमावली, 1975

उत्तर प्रदेश साधारण गजट में अधिसूचना संख्या 1931 पन्द्रह (6)-9 (7)-73 दिनांक 20 मई, 1975 द्वारा प्रकाशित

अनुसूची

उत्तर प्रदेश शिक्षा अधिनियम, 1972 की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (अध्यापकों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें और अन्य शर्तें) नियमावली, 1975 कहलायेगी।

(2) यह नियम और नियम 11 तत्काल लागू होंगे तथा शेष उपबन्ध 1 जुलाई, 1975 से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषायें—इस नियमावली में जब तक कि प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 से है।

(ख) "जूनियर बेसिक स्कूल" का तात्पर्य हाई स्कूल या इन्टरमीडिएट कालेज से भिन्न ऐसी संस्था से है जिसमें कक्षा 5 तक की शिक्षा दी जाती हो।

(ग) "परिषद" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन संघटित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से है।

(घ) "जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से है।

(ङ) "मान्यता प्राप्त स्कूल" का तात्पर्य इस नियमावली के प्रारम्भ से पूर्व परिषद के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी ऐसे जूनियर स्कूल से है जो परिषद या किसी स्थानीय निकाय की संस्था न हो और उसके द्वारा पूर्णतः अनुरक्षित न हो।

3. लागू होना—प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्कूल एतत्पश्चात् विनिर्दिष्ट शर्तों तथा निबन्धनों को मानने के लिए बाध्य होगा।

4. वित्तीय साधन—प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्कूल में, उसके सुचारू रूप से संचालन के लिए उस स्कूल के प्रबन्धाधिकरण द्वारा पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध किये जायेंगे तथा जिन विषयों में अध्यापन के लिए ऐसे स्कूल को मान्यता दी गई हो, उनके लिए परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट मानक के अनुसार पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी।

5. भवन तथा साज सज्जा—प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्कूल के लिए ऐसे भवन, शौचालय खेलकूद के मैदान एवं साज सज्जा की, जो परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट विशिष्टयों के अनुसार हों, तथा साफ और हवादार भवन का निर्माण स्वास्थ्यप्रद स्थान एवं वातावरण में किये जाने की व्यवस्था की जायेगी।

6. शिक्षा शुल्क—नियम 7 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी मान्यता प्राप्त स्कूल विद्यार्थियों से शिक्षा शुल्क 15 रुपये प्रतिमास से अनधिक की दर से लिया जा सकता है तः कोई भी धनराशि चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय शुल्क चन्दा या अंशदान के रूप विद्यार्थियों से नहीं ली जायेगी।

7. शिक्षा शुल्क से छूट—किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में उस स्कूल की नामावली में द कुल छात्र संख्या के 25 प्रतिशत छात्रों को शिक्षा संहिता पैरा 106 से 114 के उपबन्धों अधीन रहते हुये, जहां तक ये लागू किये जा सकें, निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था जाएगी।

8. पाठ्य पुस्तकें—किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल में परिषद द्वारा विहित पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों से भिन्न पाठ्यक्रम में न तो शिक्षा दी जायेगी और न पाठ्य पुस्तकों का उप किया जायगा।

9. अध्यापकों की नियुक्ति—कोई भी व्यक्ति किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में अध्यापक अन्य कर्मचारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक कि वह ऐसी अर्हता न रखता जो परिषद द्वारा इस निमित्त विहित की जाय जब तक कि उसकी नियुक्ति के लिए बेसिक शि अधिकारी का लिखित पूर्वानुमोदन न प्राप्त कर लिया जाय। रिक्ति की अवस्था में स प्रबन्धाधिकरण द्वारा कम से कम दो समाचार पत्रों में (जिनमें से एक दैनिक समाचार पत्र हो आवेदन पत्र देने के लिए कम से कम तीस दिन का समय देते हुए, विज्ञापन देकर नियुक्ति लिए आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जायेंगे। साक्षात्कार का दिनांक विज्ञापन में दिया जा सक है, अथवा अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए नियत दिनांक की सूचना रजिस्ट्री डाक द्वारा जा सकती है, जिसके लिए पत्र जारी करने के लिये नियत दिनांक से कम से कम 15 दिन समय दिया जायगा। प्रबन्धाधिकरण किसी अप्रशिक्षित अध्यापक का चयन नहीं करेगा और चयन किया गया अभ्यर्थी प्रशिक्षित है, तो बेसिक शिक्षा अधिकारी उसका अनुमोदन करेगा।

10. अध्यापकों का वेतन—कोई मान्यता प्राप्त स्कूल अपने प्रत्येक अध्यापक कर्मचारी को 1 जुलाई, 1975 से वही वेतनमान मंहगाई भत्ता तथा अतिरिक्त महंगाई भत्ता का जिम्मेदार होगा जो परिषद के समान अर्हता वाले अध्यापकों तथा कर्मचारियों को जाय।

11. अध्यापकों को पदच्युत तथा सेवा से हटाना—किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल अध्यापक को सिवाय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अनुमोदन के; दण्ड स्वरूप न पदच्युत किया जायगा और न सेवा से हटाया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट संख्यक वर्ग द्वारा स्थापित तथा प्रतिबन्ध मान्यता प्राप्त स्कूल की दशा में, प्रबन्धाधिकरण निश्चय के लिए किसी अध्यापक को पदच्युत किया जाय या सेवा से हटाया जाय, जिला बे शिक्षाधिकारी के अनुमोदन की आवश्यकता न होगी किन्तु इस बात की सूचना उसे दी जाये

12. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील—जिला बेसिक अधिकारी द्वारा नियम 11 के अधीन दिये गये आदेश से क्षुब्ध कोई अध्यापक

मामले जिनका निर्देश किया गया-1971 ए. एल. जे. 963, पृष्ठ 17 तथा 18।

13. मान्यता की शर्तों का पालन करने का कर्तव्य—किसी मान्यता प्राप्त स्कूल के प्रबन्ध निकाय या उसके कार्यों का प्रबन्ध करने वाले अन्य व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह अधिनियम तथा इस नियमावली के उपबन्धों का तथा परिषद् द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा समय-समय पर जारी किये गये विधिपूर्ण निदेशों का पालन करे।

14. मान्यता का वापस लेना—यदि परिषद को यह समाधान हो जाय कि किसी मान्यता प्राप्त स्कूल के सम्बन्ध में अधिनियम या इस नियमावली के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है तो परिषद् ऐसे स्कूल के प्रबन्ध निकाय या उसके कार्यों का प्रबन्ध करने वाले अन्य व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् मान्यता वापस ले सकती है।

समीक्षा

नियम 1975

नियम 12 तथा 2(ख) - बे.शि. अधिकारी ने सेवा समाप्ति के दण्ड को अनुमोदित करने से मना कर दिया। प्रबन्ध समिति जू.हा. स्कूल ने विशेष अपील योजित की। अपील पोषणीय है अतः जू.हा. स्कूल पर उ.प्र. मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जू.हा. स्कूल) अध्यापकों की भर्ती और (सेवा शर्तें) नियमावली 1978 प्रयोज्य है, नियमावली 1975 प्रयोज्य नहीं है। क्योंकि नियमवली 1975 जूनियर बेसिक स्कूलों पर प्रयोज्य है जो कक्षा 5 तक शिक्षण कार्य करते हैं। जबकि 1978 के नियम उन संस्थाओं पर प्रयोज्य है जो बालक/बालिकाओं को कक्षा 6 से 8 तक शिक्षा प्रदान करते है।[1]

प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक कार्यवाहक प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत रहे। उन्होंने प्रधानाध्यापक पद पर अनुमन्य वेतन का दावा किया। नियमों के अन्तर्गत एक सहायक अध्यापक की पदोन्नति प्रधानाध्यापक पद पर प्रदत्त नहीं है। एक व्यक्ति वेतन का दावेदार होगा यदि वह उस पद पर नियुक्ति हतु अर्ह है। अतः याची प्रधानाध्यापक पद के वेतन पाने योग्य नहीं है।[2]

याची ने बे.शि. अधिकारी के निदेश किये जाने की याचना की बे.शि.अ. को 6 सप्ताह में विधि अनुकूल रीति से निर्णय करने को निर्देशित किया।[3]

---

1. [illegible] अध्यापकों लघु मा. विद्यालय [illegible] प्रति. शिक्षा निदेशक (बेसिक) 2007 (2) ए.एल.आर. 925, 2007(2) यू.पी.एल.बी.ई.सी. 1475, 2007 (3) ई.एस.सी. 1565 (लख पीठ)।
2. [illegible] प्रति. उ.प्र. राज्य 2009 (4) ए.डी.जे. 328 (लखनऊ पीठ)।
3. प्रबन्ध समिति [illegible] मा.वि. [illegible] प्रति. बे.शि. परिषद् इलाहाबाद 2010 (2) ESMC 1278 लखनऊ।

अध्याय - 12

[1][उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनिय (अध्यापकों की भर्ती और सेवा शर्तें) नियमाव

[उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अ की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन]

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदे स्कूल (जूनियर हाई स्कूल) अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें जायेगी।

(2) यह नियमावली तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषायें—जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "शिक्षा वर्ष' का तात्पर्य 1 जुलाई से प्रारम्भ होने वाले की 30 जून को समाप्त होने वाले वर्ष से है;

(ख) "अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश बेसिक अधिनियम,

(ग) "परिषद्' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अधीन शिक्षा परिषद से है;

(घ) "जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी' का तात्पर्य राज्य स बेसिक शिक्षा अधिकारी से है और इसमें अपर बेसिक भी सम्मिलित है;

(ङ) "जूनियर हाई स्कूल' का तात्पर्य हाई स्कूल या इन्टर ऐसी संस्था से है जिसमें छठी कक्षा से आठवीं कक्षा (हुये) तक लड़कों या लड़कियों या दोनों को शिक्षा दी ज

(च) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल के सम्बन्ध में "प्रबन्धाधिक के कार्य कलाप का प्रबन्ध करने वाली और परिषद प्राप्त प्रबन्ध समिति या अन्य निकाय से है;

(छ) "मान्यता प्राप्त स्कूल' का तात्पर्य किसी ऐसे जूनियर या किसी स्थानीय निकाय की या उसके द्वारा पूर्णत किन्तु जिसे परिषद द्वारा उस रूप में मान्यता प्राप्त हो

(ज) "चयन समिति' का तात्पर्य नियम 9 के अधीन गठित

[2][(झ) "अल्पसंख्यक संस्था' का तात्पर्य संविधान क अनु निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित

---

1. उ.प्र. सरकारी असाधारण गजट दिनांक 13 फरवरी, 1978 में अधिसूचना संख्या 6988 1978 के अन्तर्गत प्रकाशित।
2. प्रथम संशोधन नियमावली, 1984 के नियम 2 द्वारा बढ़ाया गया।

पुनर्विलोकन ऐसा आदेश सूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर परिषद को अपील कर सकता है और ऐसे अपील पर परिषद या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा दिया गया आदेश अंतिम होगा।

टिप्पणियाँ

(क) भारत का संविधान, अनुच्छेद 226-उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (अध्यापकों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें और अन्य शर्तें) नियमावली, 1975, नियम 12-उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाई स्कूल) (अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियमावली, 1978 नियम 16-अध्यापक की सेवाओं की समाप्ति के आदेश प्रति आक्षेप करते हुये रिट याचिका-उसका संधारण किया जाना (maintainability) नियम 16 के साथ पठित नियम 12 में उपबन्धित अपील का वैकल्पिक उपचार (Alternative remedy) परिषद अथवा किसी अन्य स्थानीय निकाय द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित स्कूलों के लिए लागू नहीं है— अतः इस प्रकार की रिटें संधारण (maintainable) किये जाने योग्य होंगी—

चूंकि उ.प्र. मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (अध्यापकों की भर्ती तथा सेवा शर्तें और अन्य शर्तें) नियमावली, 1975 परिषद द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित स्कूलों पर लागू नहीं होती, और उ.प्र. मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाई स्कूल) अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें, नियमावली, 1978, परिषद द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित स्कूलों के सम्बन्ध में होने वाले नियमों का उल्लेख करती है, इसलिए निश्चयात्मक रूप में यह नहीं कहा जा सकता कि याची (अस्थायी अध्यापक) को 1975 की नियमावली के नियम 12 के साथ पठित 1978 की नियमावली के नियम 16 के अधीन अपील का वैकल्पिक उपचार उपलब्ध था, इसलिये याची की सेवाओं की समाप्ति के आदेश के प्रति आक्षेप करने वाली प्रस्तुत रिट याचिका संधारण किये जाने योग्य (maintainable) है।

(ख) भारत का संविधान अनुच्छेद 226-रिट याचिका-वैकल्पिक उपचार का वर्जन (bar)- प्रकृति तथा उसका अनुच्छेद 226 के उप-खण्ड (3) के निकाल दिये जाने के पश्चात् लागू होना-वैकल्पिक उपचार पूर्णतया वर्जन नहीं होता।

(ग) नियुक्ति-उसकी प्रकृति का अवधारण-नियुक्ति का पत्र जिसमें शब्द "परिवेक्षण काल' अन्तर्विष्ट है- प्रथम नियुक्ति के पत्र में भी, जो अस्थायी नियुक्ति के लिए था, वही शब्द थे-अधिष्ठायी पद (substantive post) पर परिवीक्षा की समाप्ति (conclussion of probation) का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

यह महत्वपूर्ण बात है कि प्रथम नियुक्ति के पत्र में भी, जो निश्चित रूप से एक अस्थायी नियुक्ति के लिए था, "परिवेक्षण काल' शब्दों का उल्लेख था। इन परिस्थितियों में, केवल इस बात से कि नियुक्ति के पत्र में "परिवेक्षण काल' शब्दों का उल्लेख है, यह परिणाम नहीं निकाला जा सकता कि याची की नियुक्ति अधिष्ठायी रूप में (substantively) हुई थी और उसको परिवीक्षा पर रख दिया गया था।

(घ) नियुक्ति-बेसिक स्कूल का अध्यापक-ऐसी नियुक्ति के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी का अनुमोदन जरूरी नहीं होता-बेसिक स्कूल का अध्यापक भले ही बेसिक शिक्षा अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किये बिना ही नियुक्त किया गया हो-नियुक्ति नहीं होती। विधि के किसी व्यक्त उपबन्ध या सरकार द्वारा जारी किये गये परिपत्र (circular) के अभाव में यह मानना होगा कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का अनुमोदन जरूरी नहीं होता। अतः इस अधिकथन को कि बेसिक स्कूल के अध्यापक की नियुक्ति अवैध है क्योंकि वह इस प्रकार का अनुमोदन प्राप्त किये बिना ही की गयी थी और याची की रिट याचिका दाखिल करने के लिये स्वीकृत स्थिति (locusstandi) नहीं है, नामन्जूर किया जाता है। [1977 एल. जे. 1963-विरोध किया गया]।

(ङ) उ.प्र. मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाई स्कूल) (अध्यापकों की भर्ती सेवा की शर्तें) नियमावली 1978, नियम 15-बेसिक स्कूल के अध्यापक पदच्युत किया जाना-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का लेखन बद्ध पूर्वानुमोदन-उसकी जरूरत-अस्थायी नियुक्ति में भी इस प्रकार का अनुमोदन होता है-इस प्रकार के अनुमोदन के बिना की गई सेवा समाप्ति अवैध है-समाप्ति के पश्चात् किया गया अनुमोदन ऐसी सेवा समाप्ति को विधिमान्य कर सकता।

यदि याची अध्यापक की सेवायें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पूर्व अनुमोदन किये बिना समाप्त कर दी गयी, और सेवा की समाप्ति 1978 की नियमावली प्रवर्तन में आने के दिनांक के पश्चात् हुई हो, तो वह जिला बेसिक अधिकारी के पूर्वानुमोदन के बिना नहीं की जा सकती थी। नियम 15 अ तथा स्थायी अध्यापक में कोई विभेद नहीं करता वह जिला बेसिक अधिकारी के लेखनबद्ध पूर्वानुमोदन के बिना किसी अध्यापक की सेवा स किये जाने पर पूर्ण रोक लगाता है। इससे प्रतीत होता है कि यह अध्यापकों का परिरक्षण (Protection) के लिये बनाया गया है, और इ निर्वाचन (interpretation) कड़ाई के साथ किया जाना चाहिये। अतः अधिकथन को, कि सेवा समाप्त करने के पूर्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनुमोदन जरूरी नहीं होता, नामन्जूर किया जाता है।

सेवा की समाप्ति के पश्चात् किया गया अनुमोदन सेवा समाप्ति सम्बन्धी आदेश विधिमान्य नहीं बना सकता। नियम 15 की अपेक्षा यह है कि जिला बेसिक अधिकारी का अनुमोदन सेवा समाप्त के संकल्प (resolution) के दिनांक को होना चाहिये, उसके पश्चात् नहीं।

यदि प्रबन्ध समिति द्वारा किया गया सेवा समाप्ति का आदेश जिला बेसिक अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किये बिना ही पारित किया गया था, तो निष्प्रभावी होगा। याची अध्यापक के रूप में बना रह सकता है।